

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2023/ दिनांक

:- आदेश:-

चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. ()/डीओपी/ए-11/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अकिंत तिथि को एक वर्ष का परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की लेवल इन पे मैट्रिक एल-14 स्वीकृत की जाती हैं:-

क्र. स.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि. अ. के पद पर परीविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला देय तिथि
1.	डॉ. डिम्पल सैनी	14.02.1995	21.04.2020	20.04.2021	21.04.2021
2.	डॉ. नरेश कुमार पालीवाल	22.09.1993	28.05.2021	16.10.2022 (142 EOL)	17.10.2022
3.	डॉ. मनीषा चारण	29.05.1993	26.07.2017	14.06.2022 (EOL)	15.06.2022

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक 09.11.23

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2023/183

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोन।
- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
- कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित चिकित्सक की पत्रावली में नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करें।
- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
- कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ मुख्यालय।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5046445

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर
Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>
Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :09-11-2023 03:30:13